

2021/443

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला-जोधपुर

प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021 कैम्प- 2021/443

क्रमांक- प्र.गा.के.सं.अ./2021/857

दिनांक- 02/11/21

प्रेषित- तहसीलदार भोपालगढ़
जिला जोधपुर

विषय- DILRMP के तहत की गयी गलत तरमीम दुरुस्ती करने बाबत। (एलआर एक्ट की धारा 131.136 के तहत)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम वत्सुगुण पटवार इन्कवा वत्सुगुण
के खात संख्या 776, 212 जिसके खसरा नं. 1420, 1420/1 रकबा 1.5459 हे.
1.5702 हे. किस्म वत्सुगुण की तरमीम दुरुस्ती के तहत प्राप्त प्रार्थी के आवेदन पत्र,
पटवारी वत्सुगुण भू अभिलेख निरीक्षक श्री. यशजित की जांच रिपोर्ट एवं
तहसीलदार भोपालगढ़ की स्पष्ट अनुशंसा के आधार एवं राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार संलग्न नजरी नक्शा
अनुसार खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरुस्ती की स्वीकृति दी जाती है एवं तहसीलदार भोपालगढ़ को
आदेशित किया जाता है कि तरमीम दुरुस्ती अनुसार नक्शे में इन्द्राज करे।

नोट- पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की अनुशंसा रिपोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगा।

Harsh
(हवाई सिंह यादव)
प्रभारी अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ एवं उपखण्ड अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 भोपालगढ़ (जोधपुर))

दिनांक- 02/11/21

क्रमांक- सम/858

प्रतिलिपि-

1. प्रार्थी श्री यशजित को सूचनार्थ।



Harsh
(हवाई सिंह यादव)
प्रभारी अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ एवं उपखण्ड अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 भोपालगढ़ (जोधपुर))

Received
O.K.
Shrini.

